संख्या-क0नि0-2-2245(1)/11-पारह-2000-9(31)/2000

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
कर एवं निबन्धन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर, व्यापार-कर,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कर एवं निबन्धन विभाग। लखनऊ: दिनांक:04 अगस्त, 2000

महोदय,

शासन द्वारा व्यापार-कर विभाग में पंजीकृत व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्म, साझीदार फर्म एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार-करने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अनुसार व्यापारी की दुर्घटना से मृत्यु होने की दशा में एक लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। साझीदार फर्म एवं अविभाजित हिन्दू परिवार के रूप में व्यापार करने वाली फर्म में एक से अधिक व्यक्तियों का हित निहित हो सकता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इन व्यापारियों के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति का बीमा नहीं किया जायेगा बल्कि फर्म को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह अपनी फर्म के एक व्यक्ति को नामित कर दे जिसकी दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि देय होगी। यह योजना लिमिटेड कम्पनीज, सोसाइटी क्लब या एसोसियेशन, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग अथवा उपक्रम एवं अन्य प्राधिकरण या निकाय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

2. प्रारम्भ में बीमा योजना एक वर्ष के लिये लागू की जायेगी और बीमा की धनराशि का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जायेगा। इस वर्ष की बीमा योजना दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी लि0 मण्डल कार्यालय-2, 26/41, 42, 43, थापर हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर के माध्यम से लागू की जा रही है। उनके द्वारा प्रति व्यक्ति रू0 21/= प्रति लाख प्रति वर्ष की प्रीमियम की दर पर बीमा करने

(12)

का प्रस्ताव दिया गया है। यह योजना जिस तारीख से लागू होगी उस तारीख को व्यापार-कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में ही लागू होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के बाद पंजीकृत व्यापारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि शासन द्वारा अगले वर्ष इस योजना को चलाने का निर्णय लिया जाता है तब उस योजना में ऐसे बाद में पंजीकृत होने वाले व्यापारियों को शामिल किया जायेगा।

3. विभाग के वार्षिक प्रत्यावेदन के अनुसार वर्ष 1998-99 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 3.91 लाख दिखायी गयी है। इस आधार पर इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले व्यापारियों की संख्या 3लाख से 3½ लाख अनुमानित की जा सकती है। इस आधार पर दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कम्पनी लि0 को 4लाख प्रपोजल-फार्म घोषणा-पत्र के साथ छपवाने के आदेश दिये गये हैं। इस प्रपोजल-फार्म की एक छायाप्रति संलग्न करके प्रेषित की जा रही है। इन फार्मों का वितरण सम्भागीय डिप्टी कमिश्नर।कार्यपालक।व्यापार-कर के माध्यम से किया जाना होगा। अतः सम्भाग में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के आधार पर आप कम्पनी को पर्याप्त संख्या में डिप्टी कमिश्नर ।कार्यपालक।को सम्भागवार फार्म भेजने का आदेश देने का कष्ट करें, ताकि उसी आधार पर कम्पनी द्वारा सम्भागीय डिप्टी कमिश्नर।कार्यपालक। को फार्म प्राप्त करा दिये जायं। आप इस सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ।कार्यपालक।को भी यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह ऐसे पंजीकृत व्यापारियों, जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है, मण्डल/खण्डवार फार्म बटवा दें और सम्बन्धित खण्ड अधिकारी इन फार्मों को व्यापारियों से भरवाकर संगृहित करते हुये विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। इसके पश्चात् इन फार्मों को संगृहित करके डिप्टी कमिश्नर।कार्यपालक।द्वारा सूची सहित दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कम्पनी लि0 अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला स्तरीय कार्यालय को प्राप्त करा दिये जायं। कृपया इस सम्बन्ध में भी विचार करने का कष्ट करें कि कुछ बड़े शहरों में यह फार्म व्यापारियों से प्राप्त करके माननीय मन्त्री जी के समक्ष एश्योरन्स कम्पनी के अधिकारियों को दिये जाने की कार्यवाही की जाय।

.. 3

4. उक्त बीमा योजना के सम्बन्ध में रू0 21/- प्रति व्यक्ति की दर से जो धनराशि का भुगतान किया जाना है उसके लिये एक बीमा निधि बनाये जाने की कार्यवाही अलग से चल रही है। इस बीमा निधि में विभाग द्वारा बिक्री किये जाने वाले फार्मों के मूल्य वृद्धि के आधार पर प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।